Estd.1972

ALL INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS' ASSOCIATION

(Reg. No. 10296)
DEJURE RECOGNISED BY
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, MINISTRY OF HRD, GOVT.OF INDIA

M B AGRAWAL
General Secretary, AIKVTA
&
Leader (Staff Side)JCM(KVS)
09414455832, 09887733117(Mob.)
E-Mail-mbaaikvta@gmail.com

Correspondence Address
42-B Mitra Nagar Colony
Opposite Super King School
Ram Nagar Sodala,
JAIPUR (Raj.)-302019
Web Site :www.aikvtahq.in

S R TIWARI
President, AIKVTA
&
Member (Staff Side) JCM (KVS)
09407000790,
E-Mail-tiwarishriram07@gmail.com

F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/114 दिनांक: 10.06.2020

द्वारा ई-मेल एवं ट्विटर- स्मरण-पत्र

प्रति

माननीय श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार
एवं
अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

विषय :- शिक्षकों को नियम विरुद्ध सरप्लस करने एवं सरप्लस आधार पर स्थानांतरण करने के संबन्ध में ।

संदर्भ :- F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/16-**दिनांक** 01.11.2019

महोदय,

निवेदन है कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने संदर्भित पत्रानुसार एक प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दिनांक 01/11/2019 को भेजा था जिसकी प्रति इस पत्र के साथ Annexure -1 के रूप में संलग्न है, संघ को अभी तक उक्त पत्र के क्रियान्वयन से संबन्धित कोई सूचना नहीं मिली है । संघ के साथ विभिन्न स्तरों पर चर्चा के दौरान एवं राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श दात्री तंत्र की बैठक में बार- बार निर्णय होने के पश्चात भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय संघ के पत्रों पर क्रियान्वयन करने, पत्रों की पावती देने एवं 95 प्रतिशत पत्रों का जवाब नहीं देते हैं ।

महोदय, बड़े दुख: का विषय है कि संगठन की स्थापना 15 **दिसम्बर** 1963 **से लेकर आज तक 56 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों/शिक्षकों के पदों की स्वीकृति किस प्रकार से होगी से संबन्धित कोई चार्ट नहीं बना पाया । इतने बड़े संगठन के पास सेक्शन के हिसाब से पदों को किस प्रकार स्वीकृत किया जायेगा या सेक्शन के हिसाब से किस प्रकार पद स्वीकृत होंगे का कोई भी लेखा-जोखा/ चार्ट नहीं है । जिसके कारण केन्द्रीय विद्यालयों में कर्मचारी एवं शिक्षक लगातार परेशान रहतें हैं** । संघ उक्त के संदर्भ में कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा है जो कि निम्नवत हैं :-

1. **यह कि वर्तमान में विद्यालयों में पदों की स्वीकृति मूलरूप से माननीय प्राचार्यों एवं माननीय संभागीय उपायुक्तों महोदयों की दया** (mercy) **पर निर्भर करती है क्योंकि मुख्यालय स्तर पर कोई कोई चार्ट उपलब्ध नहीं है ।**
2. **यह कि सत्र** 2015-16 **में भी कुछ संभागों द्वारा** 71 **पदों को गलत तरीके से इसी प्रकार माननीय प्राचार्यों एवं माननीय संभागीय उपायुक्तों महोदयों के आधार पर सरप्लस किया गया था, जिसकी जानकारी संघ ने माननीय आयुक्त महोदय केन्द्रीय विद्यालय संगठन वार्ता कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था एवं माननीय आयुक्त महोदय के हस्तक्षेप के बाद उक्त** 71 **पद पुन: बहाल कर दिये गये थे । इसी प्रकार रायपुर संभाग के द्वारा सत्र** 2017-18 **में प्राथमिक शिक्षकों के पदों को गलत एवं नियम विरुद्ध तरीके से सरप्लस किया गया कि जिसकी जानकारी संघ द्वारा माननीय आयुक्त महोदय केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्रेषित करने पर उक्त सरप्लस किये गये पदों को पुन: बहाल कर दिया गया था ।**

3. **यह कि इसी प्रकार सत्र** 2019-20 **के लिये पुन**: (**द्वितीय सूची**) **तैयार की गई, सरप्लस कर्मचारियों/ शिक्षकों के सूची में कई पदों को बिना कोई सेक्शन कम हुए/ बिना कोई सेक्शन बढे सरप्लस् कर दिया गया है जो कि नियम विरुद्ध** था, संघ के पुन: हस्तक्षेप के बाद उक्त सूची के स्थानान्तरण संगठन के द्वारा रोक दिये गये थे ।

4. महोदय, संघ नियमानुसार सरप्लस हुए कर्मचारियों एवं शिक्षकों का विरोध नहीं कर रहा है, संघ का विरोध यह है की जिस विद्यालय में कोई भी सेक्शन कम या ज्यादा नहीं हुआ वहाँ कोई भी कर्मचारी या शिक्षक कैसे सरप्लस हो सकता है फ़िर भी यदि किसी को इस प्रकार सरप्लस किया जाता है तो जो इसके लिये जिम्मेदार है अधिकारियों के खिलाफ़ आज तक कोई कार्यवाही सुनिश्चित क्यों नहीं की गई, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में ज्यादातर मामलों में शिक्षक विरोधी माननीय प्राचार्यों एवं माननीय उपायुक्तों को बचाने का कार्य किया जाता है ।

5. **महोदय, कुछ माननीय प्राचार्य, माननीय, उपायुक्त महोदय एवं उनके साथ कार्यरत सदस्य चाहते हैं कि कर्मचारियों/ शिक्षकों को परेशान करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी/ शिक्षक न्यायालय की शरण में जायें ।**

6.. महोदय, यही कारण है कि हर वर्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन की करोड़ो रुपयों की राशि न्यायालय में दर्ज मामलों में व्यय होती है परन्तु आज तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने न्यायालय में लगातार बढ रहे मामलों में किसी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की । यही कारण है कि किसी भी अधिकारी पर न्यायालय में मामला दर्ज होने पर कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

7. महोदय, संघ को विदित हुआ है कि केन्द्रीय विद्यालय संघठन पुन: शीघ्र ही कोविड-19 की स्थिति में भी सरप्लस कर्मचारियों एवं शिक्षकों के स्थानांतरण करने जा रहा है ।

अत: आपसे आग्रह है कि सरप्लस कर्मचारियों/ शिक्षकों के स्थानांतरण की जारी होने वाली सूची पर जब तक रोक लगाई जाये जब तक की केन्द्रीय विद्यालय संगठन सेक्शन के हिसाब से पदों को किस प्रकार स्वीकृत किया जायेगा या सेक्शन के हिसाब से किस प्रकार पद स्वीकृत होंगे का कोई भी लेखा-जोखा/ चार्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड न कर देवें । पूरे भारत वर्ष में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में पद स्वीकृत का नियम एक समान होना चाहिये इसको लेकर कोई विरोधाभास न हों । यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन यह कर पाया तो तो माननीय न्यायालयों में दर्ज हो रहे मामलों या दर्ज होने वाले मामलों मे स्वत: ही कमी आ जायेगी एवं संगठन की करोड़ो रुपये की राशि की भी बचत होगी

सकारात्मक निर्णय की आशा के साथ ।

धन्यवाद ।

भवदीय

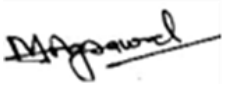

मुकुट बिहारी अग्रवाल
राष्ट्रीय महासचिव
अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ
एवं
लीडर(स्टाफ़साइड) जेसीएम,

प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू :-

1. **माननीय निजी सचिव, माननीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री, भारत सरकार ।**
2. **माननीय निजी सचिव, माननीय शिक्षा सचिव मानव संसाधन एवं विकास मंत्री, भारत सरकार ।**
3. **माननीय संयुक्त सचिव (एमडीएम) और उपाध्यक्ष केवीएस, एमएचआरएस नई दिल्ली ।**
4. **माननीय आयुक्त महोदय केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ।**
5. **माननीय संयुक्त आयुक्त वित्त/ प्रशासन/शैक्षणिक/कार्मिक केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ।**

Annexure -1

Estd.1972

ALL INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS' ASSOCIATION

(Reg. No. 10296)
DEJURE RECOGNISED BY
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, MINISTRY OF HRD, GOVT.OF INDIA

M B AGRAWAL
General Secretary, AIKVTA
&
Leader (Staff Side)JCM(KVS)
09414455832, 09887733117(Mob.)
E-Mail-mbaaikvta@gmail.com

Correspondence Address
42-B Mitra Nagar Colony
Opposite Super King School
Ram Nagar Sodala,
JAIPUR (Raj.)-302019
Web Site :www.aikvtahq.in

S R TIWARI
President, AIKVTA
&
Member (Staff Side) JCM (KVS)
09407000790,
E-Mail-tiwarishriram07@gmail.com

F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/16 दिनांक: 01.11.2019

श्रीमान आयुक्त महोदय
केन्द्रीय विद्यालय सगंठन (मुख्यालय)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016.

विषय :- शिक्षकों को नियम विरुद्ध सरप्लस करने एवं सरप्लस आधार पर स्थानांतरण करने के संबन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सत्र 2019-20 के लिये जो सरप्लस आधार पर स्थानांतरण किये हैं एवं पुन: सत्र 2019-20 के लिये सरप्लस आधार पर स्थानांतरण के लिये जो एक सूची तैयार की है के संबन्ध में संघ निम्न तथ्य प्रस्तुत करते हुये संघ न्याय की माँग कर रहा है :-

1. **यह कि सत्र 2019-20 में सरप्लस हुए कर्मचारियों के स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के पैरा 5 अ के अनुसार, सत्र 2019-20 के वार्षिक स्थानांतरण की समस्त स्थानांतरणों से पूर्व होने चाहिये थे, संगठन के द्वारा बनाये गए उक्त नियम की पालना संगठन ने स्वंय नहीं की ।**

2. **यह कि संगठन ने सत्र 2019-20 के सभी स्थानांतरण, सरप्लस हुए कर्मचारियों के स्थानांतरण करने से पूर्व सभी वार्षिक स्थानांतरण (सरप्लस कर्मचारियों को छोड़कर), सीमित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण एवं सीधी भर्ती से चयनित प्रतिभागियों का पदस्स्थापन कर दिये जो कि केन्द्रीय विद्यालय स्थानांतरण नीति का स्पष्ट: उलंग्न था ।**

3. **यह कि दिनांक 31/08/2019 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय ने एक आदेश पारित किया जिसके तहत सत्र 2019-20 के वार्षिक स्थानांतरण बंद कर दिये गये हैं एवं दिनांक 31/08/2019 के बाद कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा ।**

4. **यह कि अचानक दिनांक 18/10/2019 को सरप्लस कर्मचारियों के स्थानांतरण की एक सूची संगठन के द्वारा जारी कर दी गई । कहने के तात्पर्य यह है कि संगठन को स्वंय को नहीं मालुम कि करना क्या है ।**

5. **यह कि इसके उपरांत सत्र 2019-20 के लिये सरप्लस कर्मचारियों की एक सूची और तैयार कराई गई जिसमें अधिकतर कर्मचारियों /शिक्षकों को नियम विरुद्ध सरप्लस किया गया है ।**

6. **यह कि बड़े दुख: का विषय है कि संगठन की स्थापना 15 दिसम्बर 1963 से लेकर आज तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों/ शिक्षकों के पदों की स्वीकृति किस प्रकार से होगी से संबन्धित कोई चार्ट नहीं बना पाया । इतने बड़े संगठन के पास सेक्शन के हिसाब से पदों को किस प्रकार स्वीकृत किया जायेगा या सेक्शन के हिसाब से किस प्रकार पद स्वीकृत होंगे का कोई भी लेखा-जोखा/ चार्ट नहीं है ।**

7. **यह कि वर्तमान में विद्यालयों में पदों स्वीकृति मूलरूप से माननीय प्राचार्यों एवं माननीय संभागीय उपायुक्तों महोदयों कि दया** (mercy) **पर निर्भर करती है ।**

8. **यह कि सत्र** 2015-16 **में भी कुछ संभागों द्वारा** 71 **पदों को गलत तरिके से सरप्लस किया गया था, उस वक्त भी संघ ने आपसे वार्ता कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था एवं आपके हस्तक्षेप के बाद उक्त** 71 **पद पुन: बहाल कर दिये गये थे । इसी प्रकार रायपुर संभाग के द्वारा सत्र** 2017-18 **में प्राथमिक शिक्षकों के पदों को गलत एवं नियम विरुद्ध तरीके से सरप्लस किया गया की जानकारी संघ द्वारा आपको प्रेषित करने पर उक्त सरप्लस किये गये पदों को पुन: बहाल कर दिया गया था ।**

9. **यह कि इसी प्रकार सत्र** 2019-20 **के लिये पुन: (द्वितीय सूची) तैयार कि गई, सरप्लस कर्मचारियों/ शिक्षकों के सूची में कई पदों को बिना कोई सेक्शन कम हुए/ बिना कोई सेक्शन बढे सरप्लस् कर दिया गया है जो कि नियम विरुद्ध तो है ही साथ की साथ माननीय प्राचार्यों एवं माननीय संभागीय उपायुक्तों महोदयों की कार्य प्रणाली का एक उदहारण भी है ।**

10. **महोदय, कुछ माननीय प्राचार्य, माननीय, उपायुक्त महोदय एवं उनके साथ कार्यरत सदस्य चाहते हैं कि कर्मचारियों/ शिक्षकों को परेशान करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी/ शिक्षक न्यायालय की शरण में जायें ।**

11. **महोदय, पिछले चार वर्षों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक बार भी स्थानांतरण कलैण्डर के अनुसार कार्य नहीं कर पाया एवं कितने स्थानांतरण नीति विरुद्ध हुये इससे से भी आप वाकिफ़ हैं एवं इन चार वर्षों में स्थानांतरण एवं सीमित विभागीय परीक्षा से संबन्धित जितने भी कर्मचारी/ शिक्षक संगठन के आदेशों के विरुद्ध न्यायालय की शरण में गये थे, में से न्यायालय द्वारा अधिकतर मामलों में कर्मचारियों/ शिक्षकों के हित में फ़ैसला दिया ।**

अत: आपसे आग्रह है कि सरप्लस कर्मचारियों/ शिक्षकों कि जो दूसरी सूची तैयार की गई है उसका पुन: अवलोकन कराने का श्रम करें । यदि कोई भी सेक्शन कम/ज्यादा हुए बिना, किसी कर्मचारी या शिक्षक को सरप्लस किया गया तो यह नियम विरुद्ध तो होगा ही साथ की साथ प्रश्नवाचक भी होगा की पूर्व में लगातार कई वर्षों से उक्त विद्यालयों कि स्टाफ़ स्वीकृत गलत तरीके से हो रही थी जिसके कारण करोड़ों रुपयों की राशि वेतन के रुप में अधिक दी गई एवं क्यों न ऐसे माननीय प्राचार्यों एवं उपायुक्तों के वेतन से उक्त अधिक दी गई राशि की वसूली की जावे ।

सकारात्मक निर्णय कि आशा के साथ ।

सधन्यवाद ।

श्रीराम तिवारी
राष्टीय अध्यक्ष
अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ
एवं
सदस्य (स्टाफ़ साइड) जेसीएम, केविएस

मुकुट बिहारी अग्रवाल
राष्टीय महासचिव
अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ
एवं
लीडर(स्टाफ़साइड) जेसीएम, केविएस

प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू :-

1. **माननीय अपर आयुक्त (प्रशासन / शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली**